



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक-06.09.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 03 कट्टो में भरे निर्मित अवैध पटाखे व दो पेटी शॉट कुल वजन करीब 25 किलो बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध पटाखों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 03 कट्टो में भरे निर्मित अवैध पटाखे व दो पेटी शॉट कुल वजन करीब 25 किलो बरामद किये गये हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वंश धामा पुत्र जितेन्द्र निवासी मौहल्ला रामपुर, करबा खेकडा जनपद बागपत उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-



- 03 कट्टो में भरे निर्मित अवैध पटाखे व दो पेटी शॉट कुल वजन करीब 25 किलो बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2-का0 724 कुशलपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3-रि0का0 605 नारायण थाना खेकडा जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक- 06.09.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 294/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित दो गुमशुदा लडकियों को सकुशल बरामद किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 294/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित दो गुमशुदा लडकियों को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना दोघट बागपत ।
- 2- का0 73 रवेन्द्र कुमार थाना दोघट बागपत ।
- 3- म0का0 31 पूजा थाना दोघट बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक आयशर कैंटर व एक बुलेरो पिकअप जिनमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 19 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक आयशर कैंटर व एक बुलेरो पिकअप जिनमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 19 पशु बरामद हुई हैं ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 585/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सनव्वर पुत्र तसव्वर निवासी मौ० घोसियान पुराना कस्बा थाना बागपत जिला बागपत ।
2. सुहेल पुत्र इनाम निवासी मौ० छड़ियान कस्बा व थाना कैराना जिला शामली 22 वर्ष ।
3. दानिश पुत्र शरीफ निवासी मौ० छड़ियान कस्बा व थाना कैराना जिला शामली 22 वर्ष ।
4. आमिल पुत्र दिलशाद निवासी मौ० छड़ियान थाना व कस्बा कैराना जिला शामली ।
5. सावेज पुत्र नसीम निवासी गंगेरू थाना काँधला जिला शामली उम्र 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 19 पशु ।
- एक आयशर कैन्टर नं० यूपी 17 एटी 9829
- एक बुलेरो पिकअप नं० एचआर 67 डी 6751

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० उ०नि० श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का० 1042 अवनीश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का० 587 मनमोहन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 06.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 375/26 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2026 को थाना कोतवाली बागपत वादी श्री नवीन कुमार पुत्र स्व: श्री ऋषिपाल सिंह गाँव नौरौजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों सोनू पुत्र ऋषिपाल निवासी रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत, एक महिला व अन्य 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई सचिन की हत्या कर देना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 375/26 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अज्ञात अभियुक्त सागर उर्फ रितिक उर्फ उस्ताद पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 14-06-2026 को महिला अभियुक्ता व दिनांक 18-06-2026 को अभियुक्त सोनू पुत्र ऋषिपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 375/26 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस में वांछित 01 प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सागर उर्फ रितिक उर्फ उस्ताद पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 415 रविन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 06.09.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/26 धारा 333/115(2)/352/351(3)/131 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2026 को थाना रमाला पर आवेदक श्री रवीकान्त शर्मा पुत्र श्री वेदप्रकाश निवासी ग्राम सूप थाना रमाला ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. गुड्डू पुत्र संजय व 2. गुलशन पुत्र नौबहार निवासीगण ग्राम सूप जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुस कर वादी



के साथ मारपीट एवं गाली गलोच करना, जान से मारने की धमकी देना व वादी पर हमला कर देना। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 184/26 धारा 333/115(2)/352/351(3)/131 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 184/26 धारा 333/115(2)/352/351(3)/131 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. गौरव उर्फ गुड्डू पुत्र संजय निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत
2. पराग उर्फ गुलशन पुत्र नौबहार निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना रमाला बागपत।
- 2-है0का0 263 मोहित कुमार थाना रमाला बागपत।
- 3-रि0का0 232 विशाल सिंह थाना रमाला बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक- 06.09.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 39 प्लास्टिक के कट्टो में भरे अवैध पटाखे व तस्करी में प्रयुक्त एक महेन्द्रा वीरो गाडी न0 UP17ST4770 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 39 प्लास्टिक के कट्टो में भरे अवैध पटाखे तथा तस्करी में प्रयुक्त एक महेन्द्रा वीरो गाडी न0 UP17ST4770 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सि0अहीर पर मु0अ0सं0



295/26 धारा 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शारूख पुत्र सरीफ निवासी फरूखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष,
2. इमरान पुत्र मुन्ना निवासी कोर्ट रोड थाना को0 बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष
3. विपिन पुत्र वेदप्रकाश निवासी फरूखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 39 प्लास्टिक के कट्टो में भरे अवैध पटाखे
- एक महेन्द्रा वीरो गाडी न0 UP17ST4770

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना सि0अहीर जनपद बागपत
- 2-है0का0 687 ओमप्रकाश थाना सि0अहीर जनपद बागपत
- 3-है0का0 402 सुमित कुमार थाना सि0अहीर जनपद बागपत
- 4- रि0का0 258 विजय त्यागी थाना सि0अहीर जनपद बागपत
- 5- रि0का0 246 जितेन्द्र सिंह थाना सि0अहीर जनपद बागपत

